



**APPROVAL PROCESS 2026-27**

**Extension of Approval (EoA)**

F.No. South-West/1-46225757792/2026/EOA

Date of Approval: 16-Mar-2026

To,

The Principal Secretary (Hr. & Tech Education)  
Govt. of Karnataka, K. G.S., 6th Floor,  
M.S. Building, R. N. 645, Dr. B. R. Ambedkar Road,  
Bangalore-560001



**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2026-27**

Ref: Online application of the Institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2026-27

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education), Powers delegated in AICTE ACT 1987, (No 52 of 1987) chapter II - u/s 2(g) to regulate Technical and subsequent Regulations of AICTE, I am directed to convey the approval to:

<b>Permanent Id</b>	1-8623695	<b>Application Id</b>	1-46225757792
<b>Name of the Institution</b>	R.V. INSTITUTE OF MANAGEMENT	<b>Name of the Society/Trust</b>	RASHTREEYA SIKSHANA SAMITHI TRUST
<b>Institution Address</b>	CA-17, 36TH CROSS, 26TH MAIN 4TH T BLOCK, JAYANAGAR, BANGALORE -560 041, BANGALORE, BANGALORE URBAN, Karnataka, 560041	<b>Society/Trust Address</b>	R.V. TEACHERS' COLLEGE PREMISES R.V. ROAD, II BLOCK, JAYANAGAR, BANGALORE, BANGALORE, BANGALORE URBAN, Karnataka, 560011
<b>Institution Type</b>	Private-Self Financing	<b>Region</b>	South-West
<b>Year of Establishment</b>	1999		

**To conduct following Programs/Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2026-27**

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2025-26	Intake Approved for 2026-27	NRI Approval Status	International Students Approval Status
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Bengaluru City University	180	180	No	No

**To conduct following Programs/Courses for Twinning and Collaboration for the Academic Year 2026-27**

Level	Program	Course	Affiliation Foreign Body
-------	---------	--------	--------------------------

All AICTE approved Institutions are empowered to nurture ecosystems for Skilling (through Vocational courses) via making effective use of existing infrastructure facilities and human resources.

**It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2024-27 (Chapter-VI)**

## Important Instructions

1. As per mandatory Disclosure of APH 2024-27(Annexure-18, page180) Institutions must disclose the following information submitted to Council at the Prominent location on its website.
  - i. Department wise availability of Infrastructure along with approved courses and intake approved by the Council.
  - ii. Faculty details: Department wise: Name& Designation of the faculty members/teaching staff along with their qualification, tenure of service in your organization, total experience, Institution should also disclose Student Faculty Ratio, Cadre Ratio.
  - iii. Additionally Audited Financial Statements for last 3 Financial years.
2. Reservation Policy of the Central Government (Including EWS) / Respective State Government/ UT as the case shall be applicable to all the Programmes. The concerned State Government/ UT Admission authority shall decide Modalities of Admission.
3. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2024-25 to 2027 for the Total Approved Intake.
4. In case of any differences in content in this Computer-generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the **Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.**
5. All AICTE institutions are highly encouraged to get NBA/NAAC accreditation. All eligible AICTE institutions are thoroughly encouraged to participate in NIRF ranking process.
6. Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.
7. AICTE Approved Institutes are encouraged to utilize SWAYAM PLUS Courses up-to 40%
8. Internship is mandatory for all admitted students.
9. AICTE Approved Institutes are encouraged to make efficient use of the flagship schemes like:
  - a. Parakh: Student Gap analysis portal bases services.
  - b. Students Scholarship schemes like Pragati, Saksham, Swanath, ADF, etc.
  - c. Course in Indian Languages.
  - d. ATAL FDPs: Faculty training for Emerging areas and cutting edge Technologies.
  - e. Augmenting Utilization of Research Assets (AURA).
  - f. Smart India Hackathon: World's largest Open Innovation Platform.
10. AICTE gives approval to Institutions based on the norms / standards prescribed by the Council from time to time. To get permission from State Government/ Affiliating University /Board to conduct all approved intake by AICTE is the sole responsibility of the Institution.

**Prof. Shyama Rath**  
**Member Secretary**

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education\*\*, Karnataka**
2. **The Registrar\*\*,  
Bengaluru City University**

**3. The Principal / Director,**  
R.V. INSTITUTE OF MANAGEMENT  
Ca-17, 36Th Cross, 26Th Main 4Th T Block, Jayanagar,  
Bangalore -560 041,  
Bangalore,Bangalore Urban,  
Karnataka,560041

**4. The Secretary / Chairman,**  
R.V. TEACHERS' COLLEGE PREMISES  
R.V. ROAD, II BLOCK,  
JAYANAGAR,  
BANGALORE  
BANGALORE,BANGALORE URBAN  
Karnataka,560011

**5. Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, a consolidated list of Approved Institutions(bulk) may be downloaded from the respective login id's.

*This is a computer generated Statement. No signature Required*

# अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 वेबसाइट: [www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)



## अनुमोदन प्रक्रिया 2026-27

### अनुमोदन का विस्तार (ईओए) पत्र

केस संख्या. South-West/1-46225757792/2026/ ईओए

अनुमोदन की दिनांक: 16-Mar-2026

सेवा में,

प्रधान सचिव (मानव संसाधन एवं तकनीकी शिक्षा)  
कर्नाटक सरकार, के.जी.एस., छठी मंजिल,  
एम.एस. बिल्डिंग, आर.एन. 645, डॉ. बी.आर. अंबेडकर रोड, बैंगलोर-560001



विषय : शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदन का विस्तार

सन्दर्भ : शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए संस्थान द्वारा जमा किया गया ऑनलाइन अनुमोदन का विस्तार हेतु आवेदन

महोदय/महोदया,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा के लिए अनुमोदन प्रदान करना) के प्रावधानों के सन्दर्भ में, अभातशिप अधिनियम 1987, (1987 की संख्या 52) अध्याय II - धारा 2(जी) के अंतर्गत एवं बाद के अन्य विनियमों के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा को विनियमन करने हेतु प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, मुझे निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश दिया गया है:

स्थायी आईडी	1-8623695	आवेदन आईडी	1-46225757792
संस्थान का नाम	R.V. INSTITUTE OF MANAGEMENT	सोसायटी/ट्रस्ट का नाम	RASHTREEYA SIKSHANA SAMITHI TRUST
संस्थान का पता	CA-17, 36TH CROSS, 26TH MAIN 4TH T BLOCK, JAYANAGAR, BANGALORE -560 041, BANGALORE, BANGALORE URBAN, Karnataka, 560041	सोसायटी/ट्रस्ट का पता	R.V. TEACHERS' COLLEGE PREMISES R.V. ROAD, II BLOCK, JAYANAGAR, BANGALORE, BANGALORE, BANGALORE URBAN, Karnataka, 560011
संस्थान का प्रकार	Private-Self Financing	क्षेत्र	South-West
स्थापना वर्ष	1999		

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नीचे दर्शाई गई प्रवेश क्षमता के साथ निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करना

स्तर	शैक्षिक कार्यक्रम	पाठ्यक्रम	सम्बद्धता प्रदान करने वाली संस्था ( विश्वविद्यालय/संस्था)	वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित प्रवेश क्षमता	वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदित प्रवेश क्षमता	एनआरआई अनुमोदन स्थिति	अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अनुमोदन स्थिति
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Bengaluru City University	180	180	No	No

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नीचे दर्शाई गई प्रवेश क्षमता के साथ निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करना

स्तर	शैक्षिक कार्यक्रम	पाठ्यक्रम	सम्बद्धता प्रदान करने वाली संस्था ( विश्वविद्यालय/संस्था)	वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित प्रवेश क्षमता	वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदित प्रवेश क्षमता	एनआरआई अनुमोदन स्थिति	अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अनुमोदन स्थिति
------	-------------------	-----------	---	--	--	-----------------------	--

सभी अभातशिप (एआईसीटीई) अनुमोदित संस्थानों को मौजूदा बुनियादी सुविधाओं और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके कौशल (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से) के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने का अधिकार दिया गया है।

अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) 2024-27 (अध्याय-VI) में दी गई सभी अपेक्षाओं का आवश्यकता से अनुपालन करना अनिवार्य है।

## महत्वपूर्ण निर्देश

- अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) 2024-27 (अनुलग्नक-18, पृष्ठ 180) के अनिवार्य प्रकटीकरण के अनुसार संस्थानों को परिषद को प्रस्तुत निम्नलिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रमुख स्थान पर प्रकट करना होगा।
  - परिषद द्वारा अनुमोदित अनुमोदित पाठ्यक्रमों और प्रवेश के साथ-साथ बुनियादी ढांचे की विभागवार उपलब्धता।
  - संकाय विवरण: संकाय सदस्यों / शिक्षण कर्मचारियों का नाम और पदनाम, उनकी योग्यता, आपके संगठन में सेवा की अवधि, कुल अनुभव, संस्थान एवं छात्र संकाय अनुपात, कैंडर अनुपात का भी खुलासा करना चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
- सभी कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार (ईडब्ल्यूएस सहित)/संबंधित राज्य सरकार/यूटी की आरक्षण नीति लागू होगी। संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रवेश प्राधिकरण प्रवेश की रूपरेखा तय करेगा।
- पहले नियमित शिफ्ट, प्रथम शिफ्ट, द्वितीय शिफ्ट/अंशकालिक में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को अब कुल प्रवेश के रूप में समाहित कर दिया गया है और उन्हें कुल अनुमोदित प्रवेश के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच)(एपीएच)2024-25 से 2027 में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य आवश्यकताओं जैसी सभी सुविधाओं को पूरा करना होगा।
- इस कंप्यूटर द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की विषय-वस्तु में किसी भी प्रकार का अंतर होने की स्थिति में, अभातशिप (एआईसीटीई) के रिकॉर्ड में उपलब्ध कार्यकारी परिषद/सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित विषय-वस्तु/सूचना अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।
- सभी अभातशिप (एआईसीटीई) संस्थानों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से प्रत्ययन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। सभी पात्र अभातशिप (एआईसीटीई) संस्थानों को एनआईआरएफ रैंकिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाता है।
- मानित (डीम्ड) विश्वविद्यालय: मानित (डीम्ड) विश्वविद्यालय (तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले) संस्थानों को, सीए संख्या 17869- 17870/2017 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03-11-2017 के अनुपालन में शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से अभातशिप (एआईसीटीई) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
- अभातशिप (एआईसीटीई) अनुमोदित संस्थानों को स्वयं प्लस पाठ्यक्रमों का 40% तक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
- सभी प्रवेशित छात्रों के लिए इंटरशिप अनिवार्य है।
- अभातशिप (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित संस्थानों को निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का कुशल उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:
  - परख: छात्र अंतर विश्लेषण पोर्टल आधारित सेवाएं।
  - प्रगति, सक्षम, स्वनाथ, एडीएफ आदि जैसी छात्र छात्रवृत्ति योजनाएं।
  - भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम.
  - अटल एफडीपी: उभरते हुए क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए संकाय प्रशिक्षण।
  - अनुसंधान परिसंपत्तियों का उपयोग बढ़ाना (और)।
  - स्मार्ट इंडिया हैकार्थॉन: विश्व का सबसे बड़ा मुक्त नवप्रवर्तन मंच (ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म)।
- अभातशिप द्वारा संस्थानों को अनुमोदन समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदान किया जाता है। अभातशिप द्वारा अनुमोदित सभी पाठ्यक्रमों/प्रवेशक्षमता के संचालन के लिए राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड से अनुमति प्राप्त करना संस्थान की स्वयं की जिम्मेदारी है।

प्रो. श्यामा राठ  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

- तकनीकी शिक्षा निदेशक \*\*, Karnataka

2. पंजीयक \*\*,  
Bengaluru City University
3. प्रधानाचार्य/निदेशक,  
R.V. INSTITUTE OF MANAGEMENT  
Ca-17, 36Th Cross, 26Th Main 4Th T Block, Jayanagar,  
Bangalore -560 041,  
Bangalore,Bangalore Urban,  
Karnataka,560041
4. सचिव/अध्यक्ष,  
R.V. TEACHERS' COLLEGE PREMISES  
R.V. ROAD, II BLOCK,  
JAYANAGAR,  
BANGALORE  
BANGALORE,BANGALORE URBAN  
Karnataka,560011
5. गार्ड फ़ाइल, अभातशिप (अभातशिप (एआईसीटीई))

नोट: पाठ्यक्रम विवरण की वैधता की पुष्टि यहां पर की जा सकती है <http://www.aicte-india.org/>

अस्वीकरण : यह मूल रूप से अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित पत्र मान्य होगा।

\*\* व्यक्तिगत स्वीकृति पत्र की प्रति डाक/ईमेल के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी। हालाँकि, अनुमोदित संस्थानों की एक समेकित सूची (बल्क) संबंधित लॉगिन आईडी से डाउनलोड की जा सकती है।

यह एक कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट है। हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं